


अपने बच्चे का पंजीकरण कराना न भूलें!

यह ऑनलाइन
है और मुफ्त है!




अपने बच्चे का
पंजीकरण यहाँ करें:

[www.cbs.sa.gov.au/
births-deaths-
marriages](http://www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages)




**यह वास्तव में महत्वपूर्ण है!
यह काम आपके लिए अस्पताल
नहीं करता है।**

आपको अपने बच्चे का उसके जन्म के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। अगर आप अपने बच्चे का पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो आप Centrelink के कुछ विशेष लाभों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही, अगर आपके बच्चे का जन्म पंजीकृत नहीं है, तो आप उसके लिए जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे।



Government of South Australia
Attorney-General's Department

यहाँ अपने बच्चे का ऑनलाइन पंजीकरण करने का तरीका बताया गया है



1

सुनिश्चित करें कि माता-पिता दोनों के पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन हो, जिस पर SMS संदेश आ सकते हों।

अगर माता-पिता दोनों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो भी आप अपने बच्चे का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के अंत में आपको एक PDF फ़ाइल ईमेल से भेजी जाएगी, जिसे प्रिंट कराकर माता-पिता दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे।



2

माता-पिता दोनों के आईडी दस्तावेज़ तैयार करें

ऑनलाइन होने से पहले, आपके पास माता-पिता दोनों का ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलियाई ड्राइविंग लाइसेंस या Centrelink और Medicare कार्ड की स्कैन की गई छवि या फ़ोटो होनी चाहिए।

अगर आपके पास आवश्यक आईडी दस्तावेज़ नहीं हैं, तो भी आप अपने बच्चे का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आपको एक PDF फ़ाइल ईमेल से भेजी जाएगी, जिसे प्रिंट कराकर माता-पिता दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे।

3

सुनिश्चित करें कि आपने बच्चे का कोई नाम तय कर रखा है

यह महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे का कोई नाम तय कर लें। अगर अपने बच्चे का पंजीकरण करने के बाद आप अपना इरादा बदलते हैं, तो इससे प्रक्रिया में विलंब हो सकता है।

4

सुनिश्चित करें कि आपके पास बच्चे और माता-पिता की जानकारी है

इसमें से कुछ जानकारी – जैसे, बच्चे का जन्म के समय वजन, डॉक्टर/प्रसाविका के विवरण – आपको अस्पताल द्वारा दी गई ब्लू बुक में मिल सकती है।

5

जन्म को पंजीकृत करने के लिए

www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages पर जाएँ

आपको एक ही बार में ऑनलाइन फ़ॉर्म को पूरा नहीं भरना होता है। ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना शुरू करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या दी जाएगी। आप 48 घंटों तक, इस संदर्भ संख्या का उपयोग करके उस स्थान से शुरू कर सकते हैं, जहाँ आपने छोड़ा था।

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो 131 882 पर कॉल करें और हम आपको एक कागज़ी फ़ॉर्म भेजेंगे।



6

जन्म प्रमाणपत्र का आवेदन करें

आप अपने बच्चे के ऑनलाइन पंजीकरण के समय ही जन्म प्रमाणपत्र दिए जाने का चयन कर सकते हैं। आपको जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और अगर आप चाहें, तो बाद में ऐसा कर सकते हैं। जन्म प्रमाणपत्र का आवेदन करने के लिए आपको वीज़ा या मास्टरकार्ड की आवश्यकता होगी।

7

SMS संदेश का जवाब दें

माता-पिता दोनों को एक SMS संदेश भेजा जाएगा। माता-पिता दोनों को SMS संदेश का जवाब देना होगा, ताकि बच्चे का पंजीकरण करने से पहले यह पुष्टि की जा सके कि उस बच्चे के माता-पिता वे ही हैं और वे जन्म प्रमाणपत्र पा सकें।



Government of South Australia

Attorney-General's Department